



महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक - WM-III / 2022-23 / 33

दिनांक- 24 / 02 / 2023

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रमंडलीय लेखाकार/ प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारि इस कार्यालय द्वारा निर्गत जापन का जवाब निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्यालय को समर्पित नहीं करते हैं। उक्त मामले को कार्यालय द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः सभी प्रमंडलीय लेखाकार/ प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारि को निर्देश दिया जाता है कि यदि कार्यालय द्वारा निर्गत जापन का जवाब निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं दिया जाता तो यह समझा जायेगा की संबंधित प्रमंडलीय लेखाकार/ प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारि को निर्गत जापन के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं विभागीय कार्रवाई CCS (CCA) Rule के अनुसार प्रारंभ कर दी जायगी। भविष्य में कारण- पृच्छा हेतु कोई स्मार-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

-हं-


उप महालेखाकार (कार्य)

जापांक- WM-III / 2022-23 / फ. 213

दिनांक- 24 / 02 / 2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. महालेखाकार महोदय का सचिवालय।
2. उप महालेखाकार महोदय का सचिवालय।
3. प्रमंडलीय लेखाकार/ प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारि के कार्यालय वेबसाइट।


वरीय लेखा अधिकारी
बिहार, पटना